राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 82/2016/जयपुर

उनवान :मैसर्स सांवरिया टेक्सोप्रो प्रा0लि0, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
07/01/2016	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज धीया विभागीय पैरोकार श्री आर के अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा ये अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः अ.प्रा. II/स्थगन/अ.स. 427/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 से अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा चाहे गये स्थगन राशियों को आंशिक अस्वीकार किया गया हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रकरणों में अवशेष वसूली योग्य राशि रू0 1023659/– की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये युक्तियुक्त व विधिक कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग राशियां की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया विवादित मांग की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक, रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के एक माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। 7-1-2016 -383 **(ईश्वरीलाल वर्मा)** **(बी के मीणा)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	